

in which the states are headed for elections, deemed crucial in the run-up to the all-important Lok Sabha contest in 2024.

The three poll-bound north-eastern states may be small in terms of their electoral size but hold larger political significance. While the BJP is pulling out all the stops to retain power in Tripura and expand its footprints in the two other states, the Congress and the Left are trying to recapture their lost influence.

A clarion call for regime change at the Centre, by dislodged by 4th round not
sounded by prominent Opposition leaders in the first round
K Chandrashekar Rao-led Bharat Rashtra Samithi (BRS)
Minister Arvind Kejriwal, Punjab's Bhagwant Mann, Ke
President Akhilesh Yadav, CPI leader D Raja and nation
many states in Khammam (Telangana), has taken the f
like-minded parties at the national level

The Mamata Banerjee-led Trinamool Congress (TMC) is also making a determined bid to prove its clout outside West Bengal by contesting these polls. The three state assem-

blies have a strength of 3 members each. While the term Nagaland Assembly March 12, the term Meghalaya and Tripura

Dec traffic at major ports sails to highest in FY23

DHRUVAKSH SAHA
 New Delhi, 18 January

After three months of stagnant growth, cargo traffic at state-owned ports rose 10.4 per cent in December year-on-year (YoY), signaling a strong rebound in a year that has faded slower than expected.

Twelve major ports handled cargo of 69.5 million tonnes (mt) in December, which is the highest during the current fiscal year. The volume is also 8 mt higher than the traffic over the past three months, which had been stuck at 61 mt since September.

It is also the second-highest traffic volume handled by major ports in a month since the onset of Covid-19. Cumulatively, traffic at major ports reached 576 mt by December, which is nearly 9 per cent higher than the previous fiscal year.

"The entire increase in volumes in December quarter and year can be explained by volumes of coal. However, container volumes have come under stress," said Mohit Kumar, a researcher with DAM Capital, who attributes the current coal surge to geopolitical tensions.

Officials and experts suggest the current surge in coal cargo has also been aided by the increased use of the rail-sea-rail (RSR) mode for the domestic transportation of thermal coal.

OVERLOADED CARGO

Traffic volumes at major ports

Commodity	Apr-Dec 2021	Apr-Dec 2022	Change (in %)
POL	162,562	175,078	7.7
Coal (thermal/steam)	71,748	97,464	35.84
Fertilisers (finished)	5,32	6,048	17.85
Coking coal & others	37,173	43,252	16.35
Misc. cargo	61,465	69,028	12.3
Other liquids	22,800	24,040	5.44
Containers	124,541	125,757	0.98
Fertilisers (raw)	6,563	6,262	-4.59
Iron ore (incl. pellets)	37,176	29,703	-20.1
TOTAL	529,160	576,632	8.97



Note: POL is Petroleum, oil, and lubricant; Source: Indian

Business Standard previously reported that the power ministry has directed thermal power plants in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Punjab, as well as NTPC to source 10-15 per cent of their coal requirement through coastal shipping.

"Iron ore traffic saw a 42 per cent year-on-year growth in December. Since the removal

of various export commodity in India which was seen higher account of pent-up demand and sector. On a cumulative ore traffic in FY22 cent less than experts expect to pick up further

Cosmo First
Ahead Always
COSMO FIRST LIMITED
 (Formerly Cosmo Films Limited)
 Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025
 CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950
 E-mail: investor.relations@cosmofirst.com, Website: www.cosmofirst.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
SUBJECT: REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/ UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE IEPF AUTHORITY

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared for the financial year 2015-16, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on or after April 20, 2023. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific order of Court/tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and details of shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link <https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information> to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year 2015-16 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website <http://www.iepf.gov.in>) and no claim shall lie against the company.

In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before April 18, 2023, the Company shall credit those shares/dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF authority.

For any queries on the subject matter, you may e-mail us at investor.relations@cosmofirst.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent, Alankit Assignments Limited at 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, Email: rt@alankit.com.

For Cosmo First Limited
 (Formerly Cosmo Films Limited)
 Sd/-
 Jyoti Dixit
 Company Secretary

Place: New Delhi
 Date: January 18, 2023

INDIA LIMITED

ATA Enterprise

5992MH1948PLC014083

Statement of Financial Results					
period ended 31 December, 2022					
(₹ in crores)					
Quarter ended 31 December, 2022	Quarter ended 30 September, 2022	Quarter ended 31 December, 2021	Year to date figures for the period ended 31 December, 2022	Year to date figures for the period ended 31 December, 2021	Year ended 31 March, 2022
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
630.39	951.18	628.08	2,444.35	2,096.39	2,603.93
29.97	95.41	53.06	215.72	238.72	222.48
29.97	95.41	53.06	216.34	238.72	222.48
22.55	71.05	39.55	161.07	178.41	164.27
24.22	69.36	40.80	159.83	177.29	163.62

Wheat prices touching record amid delay in open-



कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड
(पूर्व में कोस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड)

पंजी. कार्या.: 1008, डीएनएफ टॉवर-ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355 फोन: 011-49494949 फैक्स: 011-49494950
ई-मेल: investor.relations@cosmofirst.com, वेबसाइट: www.cosmofirst.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना

विषय: अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के दावे के लिए रिपॉजिटरी और आईईपीएफ प्राधिकारी को इविटरी शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, उसे 20 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश अदावाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विरोध आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रोक/बंद है।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब-लिंग <https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information> को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित लाभांश का दावा कर लें।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर शैतिक प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरीयलाइज्ड प्रारूप में हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों, आईईपीएफ वेबसाइट <http://www.iepf.gov.in> देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 18 अप्रैल, 2023 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कंपनी ऐसे शेयरों/लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर मबिध में उपापार्जित सभी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगे।

इस विषय में किसी भी पृष्ठताछ के लिए आप investor.relations@cosmofirst.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर दस्तावेज एजेंट, अलंकित एसाइमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2, अलंकित हाउस, अंबेडकर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, ई-मेल: rta@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड
(पूर्व में कोस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड)

हस्ता/-
ज्योति दीक्षित
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 जनवरी, 2023

एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

को स्मॉल बिज़नेस फिनकेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

पंजी. नं. 103, प्रथम तल, सीएएडब्ल्यू स्क्वेयर, संगम कॉम्प्लेक्स, पटना, अंधेरी-कुर्ना, रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059.

नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार

मुनि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं। प्रा कर्तार-सहकर्मचारियों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित तिथियों पर सीधे जर्जित सम्पत्ति पर कब्जा

स्वकार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार

व्यक्ति/का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि	कब्जा सूचना में मांगकृत राशि (रु.)
न्युनियमित खाता संख्या 68/42 का समस्त भाग, माप 462 मी 42.93 वर्ग मीटर, मोहल्ला दलालन, परगना, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड में स्थित तथा संपत्ति की सीमा : 6 फुट, 8 इंच माप 21 फुट, पश्चिम- संपत्ति हरदीप शर्मा से 1 फुट, उत्तर- मदन लाल का मकान 22 फीट, दक्षिण- का घर 22 फीट। दि: 14-जनवरी-2023	रु. 20,08,368/- (रुपये बीस लाख आठ हजार तीन सौ अड़स मात्र) तिथि
37 वाले आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, माप : पूर्व-11 पश्चिम-11 फीट 9 इंच, उत्तर- 46 फीट 5 इंच और दक्षिण- 4 इंच, जिसका कुल क्षेत्रफल 546.37 वर्ग फुट, आयी 50.77 वर्ग सौम्य: पूर्व- रास्ता 20 फीट चौड़ा, पश्चिम: अन्य व्यक्ति का प्लॉट नंबर 38, दक्षिण: विक्रेता का प्लॉट। खसरा नंबर 2125 सुभाष नगर, ग्राम ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में दि: 13-जनवरी-2023	26 अगस्त, 2022 तक रु. 25,52,340/- (रुपये पच्चीस लाख बावन हजार तीन सौ चालीस मात्र) तिथि 26 अगस्त, 2022 तक
न अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। रु./- (अधिकृत प्राधिकारी), एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	

लिए सार्वजनिक सूचना

दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1 (यहां इसे बाद में 'बैंक' कहा गया है) का अधिकृत प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संघर्षों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में उक्त के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचनाएं प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशकों मोहम्मद मारुफ रेजा तथा श्री मनीष कुमार/मोहम्मद मारुफ को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर रु. 17,276,909.98 (रुपये एक रकम के साथ दिनांक 28.04.2022 से भुगतान की वास्तविक तारीख तक आगे के ब्याज की) एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी ने बैंक के पास गिरवी पर रखी गई यहाँ

यथा नियम एवं शर्तों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में बोलियाँ आमंत्रण के माध्यम से उक्त सम्पत्ति

पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्री की जाएगी।
लाख चौरानवे हजार छह सौ चालीस मात्र) है।
चौसठ मात्र) होगी।

नीलामी की प्रक्रियाएं तथा नियम एवं शर्तें

एन 1.00 बजे तक किया जा सकता है।

रु. 1,129,464/- (रुपये ग्यारह लाख उनतीस हजार चार सौ चौसठ मात्र) के कर कार्यालय में जमा करनी होगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक अथवा उससे पहले है।

इसके प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि करनी होगी।

नै अधिक मूल्य वाले उच्चतम बोलीदाता की बोली बैंक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। किसी भी जाएगी। तब, नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने वाले बोलीदाता के पास अधिकार भी होगा तथा सर्वोच्च मूल्य प्रस्तावित किए जाने पर बैंक के पास उसे स्वीकार करने

पास बयाना राशि जमा के समायोजन के उपरांत बिक्री मूल्य की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि

इंद्र दिनों के अंदर अथवा पार्टियों द्वारा लिखित रूप से सहमत विस्तारित अवधि तक क्रय मूल्य

पास जमा बयाना राशि की रकम जमा करने तथा सम्पत्ति को पुनः नीलाम करने का अधिकार

भी भी रकम के हिस्से पर असफल क्रेता के पास कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। 6908 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा करना होगा।

त्र जारी किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा सौंप दिया जाएगा।
च से गहाँ नीचे अनुसूची में उल्लेखित संबंधित अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण जेविन सभी पहलुओं

9) प्राधिकृत फायनांशियल के साथ धारा अधिकारों का ह और नीलम 451 की राशि से मात्र) और न भीतर चुकता

सर्व सामान्य (4) के साथ के तहत प्राप्त कर लिया है। करने के लिए पचासी लाख पर ब्याज के

के अन्तर्गत

नॉक-आरएन, उत्तर प्रदेश,

रोड

रोड

सही/-
कृत अधिकारी
नांस लिमिटेड

मिटेड

मुथूट सेंटर, पुनैन रोड, त्रिवरुवत्तपुरम - 695 034
पारिणी क्रिस्केंजो, प्लॉट नं. सी38 व सी39, बांद्रा कूर्ला
ई-मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत

मुनि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, मुथूट फाइनेंस कंपनी लि. नीचे दिए गए सूचना के प्रकाशन और जारी संबंधित सूचनाओं को पुनर्भुगतान करने के लिए कंपनी की अपनी देयता के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं प्रतिभूति परिसंपत्ति (यों) क्रमशः उक्त ऋणी(यों), सह-ऋणी(यों),

कुल बकाया राशि

रु. 7,48,398.00/- (रुपए सात लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठानवे केवल) 28 सितंबर 2022 तक

नं. 16, आबादी क्षेत्र, धनताल, गाम पंचायत - धनताल, पारसल प्लॉट की सीमाएं हैं: पूर्व: सुखदेव की संपत्ति (माहादेव जी का स्थान) 14 फुट, दक्षिण: सुखदेव जट

रु. 2,57,076.00/- (रुपए दो लाख सत्तान हजार छित्तर केवल) 21 दिसंबर 2022 तक

नं. 12, स्क्रीम हनुमान वाटिका, गोविंदपुर रोड, टॉल टैक्स के नॉर्नार्ड, प्लॉट की सीमाएं हैं: पूर्व: पब्लिक रोड, पश्चिम- अन्य

को भुगतान करने में असफल रहते हैं, एमएचएफसीएल उक्त म. लागत व परिणामों पर पूरी तरह से कानून में कंपनी के लिए

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि फाइल नं. एफ.96(337) 98/सीएल/डीसी/4459-60 दिनांक 17.12.1998 रु. 1,46,250/- पत्रांक 1035 दिनांक 2.11.2003 विविध रकम। बैंक चालान नं.

- 22653 दिनांक 5.2.1999
 - 22650 दिनांक 8.2.1999
 - 22641 दिनांक 9.2.1999
 - 48590 दिनांक 21.1.1999
 - 472171 दिनांक 30.6.1999
 - 19116 दिनांक 16.7.2015
- डीडीए प्लॉट नं. 19 पीकेटी. एन. पीवीसी मार्केट, टिकरीकल्ला, दिल्ली, गुम हो चुके हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर यह मिलता है, तो वे उसे कृपया मुझे वापस कर दें। जनसाधारण को उपरोक्त के साथ लेनदेन नहीं करने के प्रति सतर्क किया जाना है, अगर वे ऐसा करते हैं, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन पर होगी।
देवी जीत स्वामी श्री हरि किशन आवास.16/3173, अमृत कोर पुरी, ब्लॉक नं. 16, टैक रोड कसेल बाग, नई दिल्ली